न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

(1) अपील संख्या 107/2021

मदनलाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बन्ता सिह पुत्र श्री सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. कलवन्त सिह पुत्र श्री सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।
3. अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. सुखजीत कौर पत्नी श्री जगरूप सिंह जाति जटसिखनिवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
6. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

(2) अपील संख्या 112/2021

अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. बन्ता सिह पुत्र श्री सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. मदनलाल पुत्र साजनराम जाति जाट निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

रेस्पोडेण्ट / प्रार्थी

3. कलवन्त सिंह पुत्र श्री सरदारासिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमागनढ।

4. अमनदीप कौर पत्नी जगदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

5. तहसीलदार (राजस्व) संगरिया जिला हनुमानगढ।

—रेस्पोडेंट / अप्रार्थी सं0 1, 2 ता 6

6. परमजीत कौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति जटसिख निवासी बोलांवाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

7. सुखजीत कौर पत्नी श्री जगरूप सिंह जाति जटसिखनिवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ। **——तरतीबी रेस्पोडेंट / अप्रार्थी सं0 2 व 3**

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया, दिनांक 08.07.2021, प्र. सं. 49 / 2020 अनवान बन्ता सिंह बनाम मदनलाल आदि

श्री इन्द्राज गोदारा, अभिभाषक अपीलाण्ट अपील सं0 2021 / 107

श्री राजेश दीपराय अभिभाषक अपीलाण्ट अपील सं0 2021 / 112

श्री खुशप्रीत सिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 व 2

श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4. 5

श्री रविन्द्र कुमार भोबिया, राजकीय अभिभाषक रेस्पो0 सं0

निर्णय दिनांक 14.09.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 ने उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 151 के अन्तर्गत एक प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें की उस चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 102 / 400 खाता बंतासिंह जमाबंदी सं0 2071–74 में कुल 1.265 है0 भूमि है। इस आराजी में आवागमन हेतु कोई रास्ता नहीं होने का कथन करते हुए अपनी भूमि में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण कलवन्त सिंह वगैरा की चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38 / 36 के प.

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

नं. 158/151 मु. नं. 24 के किला नं. 19 व 20 में किला नं. 11–12 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने एवं मौका पर रास्ता चालू करने का अनुरोध मांगा। अप्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए प्रार्थना–पत्र खारिज करने का अनुरोध किया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा विवादगत रास्ता स्वीकृत करने के आदेश दिये जिससे व्यथित उक्त अपीलार्थीगण ने दो अलग अलग अपीलें प्रस्तुत की हैं।

2. अपीलार्थीगण ने अपील इस आधार पर पेश की है कि उनकी भूमि के दो भाग हो गये है। वह लघु काश्तकार है भूमि के बदले में भूमि नहीं दिये जाने पर उसकी भूमि रास्ते में चली गई है जिससे उसका जीवन यापन मुस्किल हो गया है। मौका की रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई है।

3. दोनों अपीलें एक ही आदेश के विरूद्ध होने एवं समान पक्षकार एवं समान भूमि होने के कारण दोनों अपीलें समेंकित की गई। अपीलाण्ट मदनलाल व रेस्पोडेण्ट बन्तासिह, कलवन्तसिंह, व सुखजीतकौर ने दिनांक 31.08.2021 ने राजीनामा पेश किया एवं राजीनामा के अनुसार निर्णय पारित करने का कथन किया।

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 सं0 1 के प्रार्थना–पत्र पर अपीलाधीन निर्णय के द्वारा चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38/36 खाता कलवन्तसिह वगैरा के प. नं. 158/151 मु. नं. 24 के किला नं. 19 व 20 में किला नं. 11 व 12 से चिपता हुआ पूर्व से पश्चिम 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया है। चूंकि उभयपक्ष लोकअदालत की भावना से राजीनामा के अनुसार अपीलों का निस्तारण करवाना चाहते हैं। लिहाजा मुताबिक राजीनामा दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर संगरिया का अपीलाधीन आदेश दिनांक 08.07.2021 निरस्त किया जाता है एवं चक 8 ए.एम.पी. खाता स0 55/49 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता मदनलाल के प. नं. 158/151 मुरब्बा नं. 24 के किला नं. 21/.019 हैक्टर दक्षिण सींव के साथ 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है तथा उक्त खाता में मदनलाल के नाम 2.441 हैक्टेयर आराजी के स्थान पर 2.422 हैक्टेयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested

6. इसी प्रकार चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38/36 जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता कुलवन्तसिंह आदि के प. नं. 158/151 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नम्बर 22/.019 हैक्टेयर दक्षिण सींव के साथ 12 फुट चौड़ा व 165 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है।

7. चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या [illegible]/40, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता बन्तासिंह के पत्थर नम्बर 158/151 मुरब्बा नम्बर 24 के किला नं. 23/.0015 हैक्टेयर (दक्षिण पश्चिम कोने में), 12 फुट चौड़ा व 12 फुट लम्बा रास्ता स्वीकृत किया जाता है व इस खाता में बन्तासिंह के नाम 1.265 है0 आराजी के स्थान पर 1.2635 हैक्टेयर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

8. चक 8 ए.एम.पी. खाता संख्या 38/36, जमाबन्दी सम्वत 2071–74 खाता कुलवन्तसिंह आदि में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 कुलवन्तसिंह का 0.025 है0 हिस्सा कम किया जाकर कुलवन्तसिंह के नाम .253 हैक्टेयर के स्थान पर .228 हैक्टेयर तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 5 सुखजीतकौर का .013 हैक्टेयर हिस्सा कम किया जाकर .100 हक्टेयर के स्थान पर .087 हैक्टेयर दर्ज करने तथा अपीलाण्ट मदनलाल का 0.019 हैक्टेयर हिस्सा बढाते हुए .445 हैटेयर के स्थान पर .464 हैक्टैयर दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं।

9. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.9.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

14/9/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:13:32 IST
Reason: SelfAttested